न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

[illegible] नम्बर 117 / 2022 दायर दिनांक–23.06.2022

1. हुक्म सिंह पुत्र श्री रिशाल सिंह उम्र 32 वर्ष जाति राजपूत निवासी पुरोहित की ढाणी, मोहनवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

– वादीगण

बनाम

1. भंवर सिंह पुत्र रिशाल सिंह
2. अजीत पुत्र गोविन्द
3. मंजु कंवर पत्नी स्व. गोविन्द,
4. गजेन्द्र सिंह पुत्र भवानी सिंह
5. रविन्द्र सिंह पुत्र भवानी सिंह
6. सुमन कंवर पत्नी विक्रम सिंह
7. पर्वत सिंह पुत्र रिशाल सिंह
8. राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र रिशाल सिंह
9. विक्रम सिंह पुत्र रिशाल सिंह
10. हिम्मत सिंह पुत्र रिशाल सिंह
11. संतोष कंवर पुत्री रिशाल सिंह
12. विनोद कंवर पुत्री रिशाल सिंह
13. सरोज कंवर पुत्री रिशाल सिंह
14. धीरज कंवर पुत्री रिशाल सिंह
15. विधा कंवर उर्फ बिन्दु पुत्री रिशाल सिंह
16. सज्जन कंवर पुत्री रिशाल सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी पुरोहित की ढाणी, मोहनवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)
17. शाखा प्रबन्ध, बैंक ऑफ बड़ोदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चिराणा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं
18. उप पंजीयन उप पंजीयन शाखा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – सुरेन्द्र कुमार बेरवाल
वकील प्रति. नं. :– सुरेन्द्र सिंह भर्रा

<u>दावा बाबत घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती</u>

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:28:29 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक:–04.10.2022

वाद–पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– [illegible] ग्राम [illegible]पुरा पटवार हल्का चिराणा कि सरहद में काश्त की भूमि खाता संख्या नया 462 खाता संख्या पुराना [illegible] अन्तर्गत भूमि खसरा नं0 नया 914 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 915 रकबा 0.0[illegible] है0, खसरा नं0 [illegible] रकबा 4.78 है0, कुल [illegible] कुल रकबा 4.83 है0 अवस्थित भूमि को वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 व 7 ल[illegible]त 16 के पिता रिशाल सिंह [illegible] जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.12.1974 को मु0 गुमान बेवा जोग सिंह जाति राजपूत निवासी चिराणा से क्रय किया है। क्रय करने के बाद उपरोक्त काश्त की भूमि का नामान्तरण भरा गया राजस्व रिकॉर्ड वादी एवं

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

13

प्रतिवादी नं0 1 व 7 लगायत 16 के पिता के नाम से दर्ज हुआ है। इस प्रकार उपरोक्त विवादित काश्त की भूमि रिशाल सिंह की स्वअर्जित सम्पति है।

वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 व 7 लगायत 16 के पिता ने अपनी इच्छा व सेवा से संतुष्ट होकर उपरोक्त भूमि में से 4.59 है0 भूमि की वसीयत अपनी पत्नी श्रीमती सुप्यार कंवर के पक्ष में दिनांक 30.10.2019 को रजिस्टर्ड वसीयत उप पंजीयन शाखा नवलगढ़ में तस्दीक करवाई है। शेष जमीन 0.19 है0 का विक्रय कर दिया है। रिशाल सिंह का स्वर्गवास दिनांक 19.09.2020 को हो गया है। विधि के प्रावधान के अनुसार रिशाल सिंह के स्वर्गवास होने के बाद उपरोक्त वसीयत कि गई भूमि का नामान्तरण वसीयत ग्रहिता उसकी धर्मपत्नी श्रीमती सुप्यार कंवर के नाम से नामान्तरण भरा जाना चाहिए था लेकिन ऐसी प्रक्रिया नही हुई है। सुप्यार कंवर का भी स्वर्गवास दिनांक 31.05.2021 को हो गया है।

वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 व 7 लगायत 16 के पिता रिशाल सिंह का स्वर्गवास गोविन्द सिंह आज से करीब 35 वर्ष पूर्व भैंरो सिंह निवासी बीरमसर तहसील रतनगढ़ जिला चुरू के गोद चला गया। गोविन्द सिंह का स्वर्गवास हो गया है। प्रतिवादी नं0 2 अजीत सिंह व प्रतिवादी नं0 मंजु कंवर गोविन्द सिंह के वारिस है जिनका नाम विवादित काश्त की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम दर्ज हो गया। विवादित काश्त की जमीन वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 व 7 लगायत 16 के पिता रिशाल सिंह की स्वअर्जित सम्पति है। प्रतिवादी नं0 2 के पिता व प्रतिवादी नं. 3 के पति का विवादित काश्त की भूमि से कोई सरोकार नहीं है।

प्रतिवादी नं0 1 भंवर सिंह पुत्र रिशाल सिंह दिनांक 16.11.2007 को 10/– रूपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर यह लिखावट भी कि है कि मुझे मेरे पिता श्री रिशाल सिंह ने पॉच गांवों के मौजिज व्यक्तियों के सामने 11000 /– अक्षरे ग्यारह हजार रूपये नगद जेवर पेटे अदा किये है। तथा मुझे बसने के लिए 50X50 वर्गफीट भूमि खेत में उत्तर दिशा में आम रास्ता से लगती हुई दे दी है। मैंने आज तक कोई भी भाई बहिन की शादी में व कुऑ में कोई खर्चा नही दिया है पाती देने पर ही मेरा हक मेरे पिता की जायदाद में रहेगा अन्यथा मैं हक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहुगां। मैं मेरे पिता के समस्त ऋण आदि की देनदारी चुकाने पर ही अपने पिता की जायदाद मे हक व हिस्सा प्राप्त करने का हकदार रहूंगा। दिनांक 20.04.2022 को विरासतन का नामान्तरण संख्या 2192 ग्राम पंचायत द्वारा भरा जाकर तस्दीक हुआ है। उसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 16 को बिना सूचना दिये, बिना जॉच किये नामान्तरण में अपना नाम दर्ज करवाया है जिस कारण से राजस्व रिकॉर्ड गलत बन गया। विधि के प्रावधान के अनुसार रिशाल सिंह की स्वअर्जित सम्पति में गोविन्द सिंह के वारिसों का कोई हक व हिस्सा नहीं है। प्रतिवादी नं0 1, 2 व 3 ने मिलीभगत कर वादी एवं प्रतिवादी नं0 7 लगायत 16 की सम्पति को हड़पने के लिए यह विरासतन का नामान्तरण तस्दीक करवाकर गलत राजस्व रिकॉर्ड बनवाया है। वादी को पहले राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी नही थी। वादी जब पटवार हल्का चिराणा के पास किसान क्रेडिट कार्ड की पत्रावली तैयार करवाने के लिए गया तब तमाम राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी हुई। वादी ने अन्य वादीगण से इस गलत राजस्व रिकॉर्ड के बारे में बताया । वादी ने प्रतिवादी नं0 1, 2 व 3 से व्यक्तिगत रूप से दिनांक 15.06.2022 को मिला तथा कहा कि गलत राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाकर सही राजस्व रिकॉर्ड तैयार करवा लो लेकिन प्रतिवादी नं0 1, 2 व 3 ने वादी को ऐलानियां धमकी दी कि आप चाहे से करो हम इस गलत राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त नही करवायेंगे। अगर प्रतिवादी नं0 1, 2 व 3 अपनी नाजायज हरकत में सफेल होते है तो वादी के हक अधिकारों पर कुठाराघात होगा वादी को भंयकर हकतलफी होगी वादी बर्बाद हो जायेगा । इस प्रकार वादी को प्रतिवादी नं0 1, 2 व 3 के विरूद्ध दावा घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती तथा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:28:29 IST
Reason: SelfAttested

वादी अपने वाद–पत्र के माध्यम से अनुतोष के संबंध में निवेदन करता है कि:–

(क) यह कि वादी का दावा वादी बहक प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराणा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में काश्त ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराणा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू की सरहद में काश्त की भूमि खाता संख्या नया 462 खाता संख्या पुराना 408 के अर्न्तगत भूमि खसरा नं0 नया 914 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 915 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 916 रकबा 4.78 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.83 में प्रतिवादी नं0 1, 2 व 3 का नाम हजफ किया

ए.सी.ई.एम. (का.दे.) नवलगढ

जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त कर उसके स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 16 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

(ख) यह कि प्रतिवादी नं0 1, 2 व 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराणा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में काश्त की भूमि खाता संख्या नया 462 खाता संख्या पुराना 408 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं0 नया 914 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 915 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 916 रकबा 4.78 है0 भूमि को तादौरान दावा राजस्व रिकॉर्ड का फायदा उठाकर किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय नही करें, खुर्द–बुर्द नही करें, किसी विशिष्ठ भू–भाग पर कब्जा कर पुख्ता निर्माण कार्य नही करें, किसी भी वितीय संस्था से ऋण प्राप्त नही करे, ऐसा कार्य न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी नौकर–चाकर, रिश्तेदार, दायभागियों आदि से करवायें। प्रतिवादी नं0 18 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह प्रतिवादी नं0 1 के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेत तस्दीक नही करें, रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अन्य सिद्वी जो वादी के हक में पड़ती हो ओर वह चाही जाने से रह गई हो तो वह भी दिलवाई जावें।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 16 की ओर से वकील श्री सुरेन्द्र कुमार भर्रा ने वकालतनामा पेश कर इनकी ओर से इकबाली जवाब दावा पेश किया पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3, 17 लगायत 19 बावजूद सम्यक तामिल के उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगणो की ओर से इकबाली जवाब एवं एकपक्षीय कार्यवाही होने प्रकरण में तनकीयात की कायम नही की गई। शहादत वादी में वादी स्वयं पीडब्ल्यू–1 हुक्म सिह, गवाह पीडब्ल्यू–2 हुक्माराम पुत्र झाबरमल, पीडब्ल्यू–3 भंवर लाल पुत्र मदनलाल उपस्थित होकर अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये। वादी की ओरे अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजता प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2075–2078, प्रदर्श–2 जमाबंदी सम्वत् 2068–2071, प्रदर्श–3 गिफ्ट डीड, प्रदर्श–4 मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रदर्श–5ए वसीयतनामा प्रदर्शित करवाये गये। तथा प्रतिवादीगण 04 लगायत 16 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश होने एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3, 17 लगायत 19 एक पक्षीय कार्यवाही होने से शहादत प्रतिवादी नही ली गई।

बहस वकील उभय वादी की सुनी गई। वकील वादी दौराने बहस वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजातों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराणा कि सरहद में काश्त की भूमि खाता संख्या नया 462 खाता संख्या पुराना 408 के अर्न्तगत भूमि खसरा नं0 नया 914 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 915 रकबा 0.03 है0, खसरा नं. 916 रकबा 4.78 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 4.83 है0 अवस्थित भूमि को वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 व 7 लगायत 16 के पिता रिशाल सिंह ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.12.1974 को मु0 गुमान बेवा जोग सिंह जाति राजपूत निवासी चिराणा से क्रय किया है। विवादग्रस्त भूमि का नामान्तरण भरा गया राजस्व रिकॉर्ड वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 व 7 लगायत 16 के पिता के नाम से दर्ज हुआ है। उपरोक्त विवादित काश्त की भूमि रिशाल सिंह की स्वअर्जित सम्पति है। वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 व 7 लगायत 16 के पिता ने अपनी इच्छा उपरोक्त भूमि में से 4.59 है0 भूमि की वसीयत अपनी पत्नी श्रीमती सुप्यार कंवर के पक्ष में दिनांक 30.10.2019 को रजिस्टर्ड वसीयत उप पंजीयन शाखा नवलगढ़ में त[illegible]ाई है। शेष जमीन 0.19 है0 का विक्रय कर दिया है। रिशाल सिंह का स्वर्गवास दिनांक 19.09.2020 [illegible] विधि के प्रावधान के अनुसार रिशाल सिंह के स्वर्गवास होने के बाद उपरोक्त वसीयत कि [illegible] भूमि का नामान्तरण वसीयत ग्रहिता उसकी धर्मपत्नी श्रीमती सुप्यार कंवर के नाम से नामान्तरण भरा जा[illegible] चाहिए था लेकिन ऐसी प्रक्रिया नही हुई है। सुप्यार कंवर का भी स्वर्गवास दिनांक 20.04.2022 को विरासतन का नामान्तरण संख्या 2192 ग्राम पंचायत द्वारा भरा जाकर तस्दीक हुआ है। उसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 16 को बिना बिना जॉच किये नामान्तरण में अपना नाम दर्ज करवाने से राजस्व

ए. सी. ई. एम. (का. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:28:29 IST
Reason: SelfAttested

रिकॉर्ड गलत बन गया। विधि के प्रावधान के अनुसार रिशाल सिंह की स्वअर्जित सम्पति में गोविन्द सिंह के वारिसों का कोई हक व हिस्सा नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पूर्णतया साबित है। इस प्रकार वादी का वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वादी वादी स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पूर्णतया साबित पाये जाने पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराणा कि सरहद में काश्त की भूमि खाता संख्या नया 462 खाता संख्या पुराना 408 के अर्न्तगत भूमि खसरा नं0 नया 914 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 915 रकबा 0.03 है0, खसरा नं. 916 रकबा 4.78 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 4.83 है0 में प्रतिवादी नं0 1, 2 व 3 का नाम हजफ किया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त कर उसके स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 16 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी नं0 1, 2 व 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की घोषित खातेदार की भूमि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है मुताबिक निर्णय के राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेंगें। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाता है।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:28:29 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) नवलगढ़

दावा बाबत :– घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 117 / 2022 **(हुक्म सिह बनाम भंवर सिंह आदि)**

पर्चा–डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 04–10–2022 निर्णय अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराणा कि सरहद में काश्त की भूमि खाता संख्या नया 462 खाता संख्या पुराना 408 के अर्न्तगत भूमि खसरा नं0 नया 914 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 915 रकबा 0.03 है0, खसरा नं. 916 रकबा 4.78 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 4.83 है0 में प्रतिवादी नं0 1, 2 व 3 का नाम हजफ किया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त कर उसके स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 16 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी नं0 1, 2 व 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की घोषित खातेदार की भूमि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है मुताबिक निर्णय के राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेंगें।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 04.10.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	2.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	03.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	08.00		2.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:28:29 IST
Reason: SelfAttested